न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा ।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2271/2025

शिवा कुमार बनाम बिहार सरकार

बिंद थाना कांड सं0 199/2025

अंतर्गत धारा 137(2), 96 B.N.S

06.03.2026

अभियुक्त **शिवा कुमार** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार एवं सूचक के निजी अधिवक्ता श्री शिशुपाल कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक की भांजी/पीड़िता उम्र–करीब 16 वर्ष सूचक के यहां रहकर पढ़ाई करती थी। जो शिवा कुमार से बात किया करती थी। दिनांक 19.10.2025 को समय करीब 11:30 बजे बाजार जाने की बात कर घर से निकली थी जिसे करब 12:00 बजे दिन में सूचक उक्त शिवा कुमार के मोटरसाइकिल पर बैठा देखकर रोकना चाहा किंतु शिवा कुमार काफी तेजी से मोटर साइकिल चलाते हुए फोरलाईन चौराहा की ओर भागा। सूचक ने पीछा किया किंतु वह उनकी भांजी को लेकर कही चला गया। सूचक को कहना है कि शिवा कुमार शादी करने की नियत से उनकी भांजी को अपहरण कर लिया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को झूठे व गलत आधार पर इस वाद में फंसा दिया गया है । उक्त धाराओं का अभियोग आवेदक के विरूद्ध बनता प्रतीत नहीं होता है। पीड़िता को पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफतार किये जाने की संभावना है । अतः इन्हें जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

विद्वान अपर लोक अभियोजक आवेदक/अभियुक्त के जमानत आवेदन का विरोध करते हैं तथा कथन करते हैं कि आवेदक के विरूद्ध सूचक की नाबालिग भांजी को जबरदस्ती लेकर भागने एवं उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का स्पष्ट आरोप है, जो कि गंभीर प्रकृति का है। अतः इनका अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाय ।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख तथा संबंधित विचारण न्यायालय अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया और पाया कि आवेदक के विरूद्ध सूचक की नाबालिग भांजी को जबरदस्ती लेकर भागने एवं उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। कांड दैनिकी के पैरा 02 एवं 03 में साक्षियों का बयान है जिन्होंने घटना का पूर्ण समर्थन किया है। पीड़िता ने अपने बी0एन0एस0एस0 की धारा 181 एवं 183 के अंतर्गतं दिए गए बयान में कथन करती है कि शिवा कुमार ने उसे बिहारशरीफ बुलाया तथा वहां से पटना लेकर चला गया। उसके बाद दिल्ली से हरियाणा ले गया तथा

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा ।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2271/2025

शिवा कुमार बनाम बिहार सरकार

बिंद थाना कांड सं0 199/2025

अंतर्गत धारा 137(2), 96 B.N.S

लगातार

06.03.2026

वहां रूम लेकर रखा था तथा उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाया था। फिर उसे ट्रेन में बैठा दिया जिससे वह पटना आई। विचारण न्यायालय अभिलेख में सूचिका का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पंजीयन पत्रक की छायाप्रति है जिसमें उसकी जन्म तिथि 20.11.2010 है जिसके अनुसार पीड़िता की उम्र लगभग 16 वर्ष है। इस प्रकार आवेदक के विरूद्ध सूचक की नाबालिग भांजी/पीड़िता को लेकर भागने एवं उसके साथ जबरस्ती शारीरिक संबध बनाने का स्पष्ट एवं विशिष्ट आरोप है, जो कि जघन्य प्रकृति का हैं। आवेदक के विरूद्ध इस जघन्य प्रकृति के अपराध में पूर्ण रूप से संलिप्तता प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है। वाद वर्तमान में अन्वेषणाधीन है। इस स्तर पर आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

परिणामतः आवेदक **शिवा कुमार** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है ।

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह–विशेष न्यायाधीश
नालन्दा, बिहारशरीफ।